

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय  
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 336/354/वि/नि/चार/03

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.1.2002 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 393/369/2002/बी-1/चार, दिनांक 18 मार्च, 2002 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावें:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.1.2002	49 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि:-

1. इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1.1.2002 से 31.3.2003 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की संपूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में एरियर के कारण देय अतिरिक्त आयकर की कटौती स्रोत पर करते हुए, जमा की जावेगी एवं माह अप्रैल 2003 (भुगतान माह मई 2003) से महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।

2. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।
4. महंगाई भत्ते की गणना के लिये “वेतन” से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।
5. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत जो कर्मचारी विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प दिये हैं, उन्हें भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी । इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता एवं अंतरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किश्त को शामिल किया जाना है ।
6. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।
7. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
8. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

**(आर.एस. विश्वकर्मा)**

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग